प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 30 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 150.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-1086/36-टी-46 (गो0चि0) दिनांक 27 मार्च, 2017 तथा संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या-2656/7-4(गो0चि0) दिनांक 27 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/प्रस्तावित कार्य के विवरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1- 746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 150.00 लाख की स्वीकृति (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| लेखाशीर्षक | धनराशि (रू0 में) |
|---|---|
| <u>अनुदान संख्या-60-</u> | |
| <u>पूँजी लेखा-</u> | |
| 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत- | |
| <u>02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-</u> | |
| <u>111-चिडियाघर-</u> | |
| 09- गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना | |
| 24-वृहत निर्माण कार्य | 15000000 |
| योग:- | 15000000 |

(रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त योजना के संबंध में शासन द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 17.02.2017 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या-367/14-4-2017-500(11)/2009टीसी दिनांक 28 फरवरी,2017 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- विषयगत योजना के संबंध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.02.2016 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

5- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

8- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

9- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से यथाआवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानको के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

11- विषयगत योजना से सम्बन्धित

12- स्वीकृत धनराशि का प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, के उक्त पत्र दिनांक 27 मार्च, 2017 तथा साथ में संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र दिनांक 27 मार्च,2017 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जायेगा।

13- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तभी होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर सक्षम स्तर को प्रेषित कर दिये गये हों।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-11-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव

<u>संख्या-534/14-4-2017-500(11)/2009टीसी तद्‌दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,द्‌वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार दि्वतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।

4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम लि0 फैजाबाद, इकाई फैजाबाद।

6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

9- नियोजन अनुभाग-3

10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in